उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्याः-36/394/23-12-2026-2031452

लखनऊ: दिनांक : 28 मार्च, 2026

<u>शुद्धि-पत्र</u>

अवगत कराना है कि पोर्टल पर अपलोड शासनादेश सं0-34/2026//001-390-23-12-2026-2031452, दिनांक 28.03.2026 द्वारा सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त होने एवं कोषागार आधारित ऑनलाईन बजटीय प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग में कार्य पर भारित करके आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करने के पश्चात केन्द्रीय मार्ग निधि(सी0आर0एफ0) योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद हरदोई के 01 चालू कार्य पर धनराशि रू0 14.08 लाख (रूपये चौदह लाख आठ हजार मात्र) अवमुक्त की गई है।

उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के स्तम्भ-2 में खण्ड/जनपद का नाम-हरदोई/नि0ख0-2 के स्थान पर टंकण त्रुटिवश हरदोई/नि0ख0 अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 की तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित हरदोई/नि0ख0 के स्थान पर जनपद/खण्ड का नाम-हरदोई/नि0ख0-2 पढ़ा एवं समझा जाये। उक्त शासनादेश की शेष नियम व शर्ते यथावत रहेगी।

आर0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव

<u>पृ0सं0-36/394(1)/23-12-2026-2031452 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली,लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 लखनऊ।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
7- मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल,नवीन भवन सचिवालय,उत्तर प्रदेश शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in